

वाराणसी

आदेश

दिनांक : 23 अक्टूबर - 2000

दिनांक 31/12/91 के न्यास विरोध आपन द्वारा गठित
मेसर्स डॉ. राममुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन, सोनिया, नारायण, आयकर अधि-
नियम 1961 की धारा 12(1) के अधीन रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 12/6/2000,
को विद्वत पत्र में आवेदन किया है, जो लगभग नौ (9) वर्षों विलम्ब से
है। देर से आवेदन किये जाने के बारे में न्यास/संस्था द्वारा पर्याप्त कारण
मौजूद नहीं था, अतः, देरी को माफ नहीं किया जाता है। अतएव प्रश्नगत
न्यास/संस्था का दिनांक 12/6/2000 से धारा 12(1) के अन्तर्गत
पंजीयन किया जाता है।

धारा 12(1) के अधीन आवेदनों के लिए इस कार्यालय में रखा गये
रजिस्ट्रार पंखिका में 462/00-01 क्रम संख्या पर आवेदन दर्ज कर लिया गया है।

§ आरंभ के लिए §

आयकर आयुक्त

वाराणसी

फा0सं0 आयुक्त/62/मुख्यालय-14/462/00-01/2191

दिनांक : 23 अक्टूबर - 2000

प्रतिनिधि सूचनार्थ :-

1. आयकर सहायक आयुक्त सर्किल-1, वाराणसी/गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयकर उपायुक्त, वाराणसी परिशेष, गोरखपुर एवं वाराणसी स्पेशल रेन्ज को प्रेषित।
3. मेसर्स डॉ. राममुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन, सोनिया, नारायण

§ अवरार अली §

आयकर अधिकारी मुख्यालय-1

कृते आयकर आयुक्त वाराणसी।

(अवरार अली)

आयकर अधिकारी मु-1

